

2

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 181/2021

बी0पी0 अग्रवाल (एडवोकेट), एम नं0 डी/2302/2007, बी-26 ए, अरिहन्त मार्ग,
केवल,पार्क, आजादपुर, दिल्ली-110033, दूरभाष नं0 011-27672675, मो0 नं0
9350204162

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 29.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 03.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 181/2021 पर दिनांक 03.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/2935-2936 दिनांक 03.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16 (4) (5) न्याय/सू0अ0/20/1765 दिनांक 08.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी बी0पी0 अग्रवाल (एडवोकेट), एम नं0 डी/2302/2007, बी-26 ए, अरिहन्त मार्ग, केवल,पार्क, आजादपुर, दिल्ली का आवेदन आरटीआई पोर्टल पर 17.06.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 (4) (5) न्याय/सू0अ0/09/197 दिनांक 26.06.2021 के द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 376 दिनांक 29.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।


जिला कलक्टर झुंझुनू

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) पत्रांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू०अ०/20/1765 दिनांक 08.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी बी०पी० अग्रवाल (एडवोकेट), एम नं० डी/2302/2007, बी-26 ए, अरिहन्त मार्ग, केवल,पार्क, आजादपुर, दिल्ली का आवेदन आरटीआई पोर्टल पर 17.06.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू०अ०/09/197 दिनांक 26.06.2021 के द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 376 दिनांक 29.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।
आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(य०डी०खान)
जिला कलक्टर, झुझुनू